# कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
# झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813


झारखण्ड सरकार

**पत्रांक : 01 / यो0बजट–18 / 2018– 531 दिनांक : 18.06.2019**

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची / साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज / पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़ / दुमका वन प्रमण्डल, दुमका / सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण), हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब तक तथा हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिमी तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) के लिए वनभूमि पर वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष हेतु कुल **रू0 19.123 लाख (एक करोड़ चालीस लाख सताईस हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंगः–** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–31 / 2018–51 / स्वी0 व0प0 दिनांक–28.01.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–31 / 2018–38 / आ0 व0प0 दिनांक 15.05.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59 अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 19.123 लाख (उन्नीस लाख बारह हजार तीन सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240601796590103 | 13.206 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601796590323 | 5.917 |
| कुल :– | | **19.123** |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)**, तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

15. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी, गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–18/2018– 531 दिनांक– 18.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–18/2018– 531 दिनांक– 18.06.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/ साहेबगंज/ पाकुड़/ दुमका/ सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 से में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) का समापन कार्य का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्यां) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | राँची वन प्रमण्डल, राँची | 500.00 | 2.373 | 0.818 | 3.191 |
| योग :– | | **500.00** | **2.373** | **0.818** | **3.191** |

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिमी तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य द्वितीय वर्ष का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्यां) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | राँची वन प्रमण्डल, राँची | 700.00 | 2.011 | 0.070 | 2.081 |
| योग :– | | **700.00** | **2.011** | **0.070** | **2.081** |
| सकल योग :– | | **1200.00** | **4.384** | **0.888** | **5.272** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में) | यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट) | वित्तीय लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | | 80195.40 | 45721.30 | **125916.70** |
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| 1 | साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज | 3.00 | 30.00 | 2.406 | 1.372 | 3.778 |
| 2 | पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ | 2.00 | 20.00 | 1.604 | 0.914 | 2.518 |
| 3 | दुमका वन प्रमंडल, दुमका | 4.00 | 40.00 | 3.208 | 1.829 | 5.037 |
| 4 | सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला | 2.00 | 20.00 | 1.604 | 0.914 | 2.518 |
| | योग :– | **11.00** | **110.00** | **8.822** | **5.029** | **13.851** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

# वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम– पथतट/नदी तट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा–गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

स्थल का नाम :– हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब

1. लोहा गैबियन का आकार 5'x2'x2'

2 स्पेंसिंग– पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3. मजदूरी दर – 249.83 प्रति मानव दिवस

गैबियन की सं0 500

| क्र.सं. | कार्य का विवरणी | प्रति गैबियन | | मजदूरी | | 500 | | गैबियन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय रू0 में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (B) | वित्तीय वर्ष 2019–20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83 | | | | | | | |
| 1 | पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज 6 फीट से 8 फीट) | प्रति गैबियन | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 42500.00 | 42500.00 |
| 2 | गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ) | प्रति गैबियन | 0.15 | 37.47 | 22.00 | 18737.25 | 11000.00 | 29737.25 |
| 3 | पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम) | प्रति गैबियन | 0.10 | 24.98 | 2.00 | 12491.50 | 1000.00 | 13491.50 |
| 4 | तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम – 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय– 10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय– 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव | प्रति गैबियन | 0.15 | 37.47 | 5 | 18737.25 | 2500.00 | 21237.25 |
| 5 | पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा) | प्रति गैबियन | 1.00 | 249.83 | 27.50 | 124915.00 | 13750.00 | 138665.00 |
| 6 | सुरक्षा | प्रति गैबियन | 0.50 | 124.92 | 0.00 | 62457.50 | 0.00 | 62457.50 |
| 7 | साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग | | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| | **योग–** | | **1.90** | **474.68** | **163.50** | **237338.50** | **81750.00** | **319088.50** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्न–2(ख)

# वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम– पथतट/नदी तट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा–गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

स्थल का नाम :– हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिम

1. लोहा गैबियन का आकार 5'x2'x2'

2 स्पेंसिंग– पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3. मजदूरी दर – 249.83 रु0 प्रति मानव दिवस

गैबियन की सं0 700

| क्र.सं. | कार्य का विवरणी | प्रति गैबियन | | मजदूरी | | 700 | | गैबियन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय रू0 में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83/– | | | | | | | |
| 1 | तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम – 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय–10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय–5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव | प्रति गैबियन | 0.15 | 37.47 | 5.00 | 26232.15 | 3500.00 | 29732.15 |
| 2 | पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा) | प्रति गैबियन | 0.50 | 124.92 | 5.00 | 87440.50 | 3500.00 | 90940.50 |
| 3 | सुरक्षा | प्रति गैबियन | 0.50 | 124.92 | 0.00 | 87440.50 | 0.00 | 87440.50 |
| | **योग–** | | **1.15** | **287.30** | **10.00** | **201113.15** | **7000.00** | **208113.15** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

# नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

| | | |
|---|---|---|
| पौधों की संख्या प्रति हे0 | 2500 | |
| पौधों की संख्या प्रति यूनिट | 300 | |
| पौधो की दूरी | 2mx3m | |
| 1 यूनिट का परिमाप | 2000 m2 | **100*20** |
| 1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई | 240m | |
| मजदूरी दर प्रति मानव दिवस | 249.83 | रुपये |

| क. सं. | कार्य का विवरणी | इकाई प्रति | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| A | वित्तीय वर्ष 2019–20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83/– | | | | | |
| 1 | पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360 | 10 रू0 प्रति | 0 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 2 | वृक्षारोपण | प्रति इकाई | 6.6 | 1648.88 | 0.00 | 1648.88 |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | प्रति इकाई | 7.50 | 1873.73 | 0.00 | 1873.73 |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | प्रति इकाई | 18.00 | 4496.94 | | 4496.94 |
| 5 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि) | प्रति इकाई | 0 | 0.00 | 472.13 | 472.13 |
| 6 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | प्रति इकाई | | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| | कुलः– | | **32** | **8019.54** | **4572.13** | **12591.67** |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-38/2019/531 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240601796590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32805 | DRNFWL013<br>SHABA ALAM ANSARI<br>DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA | 438,400.00<br>रुपये चार लाख अडतीस हजार चार सौ |
| 2 | S 19 240601796590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32806 | SBJFOR001<br>MAHALING<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ | 240,600.00<br>रुपये दो लाख चालीस हजार छः सौ |
| 3 | S 19 240601796590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32807 | PKRFOR001<br>MAHALING<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 160,400.00<br>रुपये एक लाख साहठ हजार चार सौ |

योग: 839,400.00

क्रमिक योग: रुपये आठ लाख उनचालीस हजार चार सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-38/2019/531 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 240601796590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32808 | DMKFOR010<br>SOURAV CHANDRA<br>D.F.O.DUMKA | 320,800.00<br>रुपये तीन लाख बीस हजार आठ सौ |
| 5 | S 19 240601796590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32809 | SKLFOR001<br>ADITYA NARAYAN<br>D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN | 160,400.00<br>रुपये एक लाख साठ हजार चार सौ |
| 6 | S 19 240601796590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32811 | DRNFWL013<br>SHABA ALAM ANSARI<br>DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA | 88,800.00<br>रुपये अठयासी हजार आठ सौ |

योग: 570,000.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख नौ हजार चार सौ 1,409,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 18/6/2019

पत्र संख्या - 01/YB-38/2019/531

दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 240601796590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32812 | SBJFOR001<br>MAHALING<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ | 137,200.00<br>रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ |
| 8 | S 19 240601796590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32813 | PKRFOR001<br>MAHALING<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 91,400.00<br>रुपये इनकानवे हजार चार सौ |
| 9 | S 19 240601796590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 32814 | DMKFOR010<br>SOURAV CHANDRA<br>D.F.O.DUMKA | 182,900.00<br>रुपये एक लाख बयासी हजार नौ सौ |

योग: 411,500.00

क्रमिक योग: रुपये अठारह लाख बीस हजार नौ सौ 1,820,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-38/2019/531 दिनांक - 18-Jun-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S 19 240601796590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme** | 32815 | SKLFOR001<br>ADITYA NARAYAN<br>D. F. O.<br>SERAIKELLA-KHARSAWAN | 91,400.00<br>रुपये इनकानवे हजार चार सौ |

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

योग: 91,400.00

क्रमिक योग: रुपये उन्नीस लाख बारह हजार तीन सौ 1,912,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI